

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना
कमांक/राजस्व/PGKS/2021/102

दिनांक:- 19.01.22

--: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं मजमे आम में पूछताछ व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, व राशनकार्ड के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम थानमाता हिगंजाज पटवार मण्डल गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर की जमाबन्दी सम्वत् 20701-2074 में खाता संख्या 49,50 व 51 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	थानमाता हिगंलाज	खाता संख्या 49 खसरा संख्या 115,173,272/407, व 37	दीनपुरी पुत्र मंछापुरी जाति स्वामी सा.देह खातेदार	शिवपुरी पुत्र मंछापुरी जाति स्वामी सा.देह खातेदार
2	थानमाता हिगंलाज	खाता संख्या 50 खसरा संख्या 137	दीनपुरी पुत्र मंछापुरी जाति स्वामी सा.देह खातेदार	शिवपुरी पुत्र मंछापुरी जाति स्वामी सा.देह खातेदार
3	थानमाता हिगंलाज	खाता संख्या 51 खसरा संख्या 327	दीनपुरी पुत्र मंछापुरी जाति स्वामी सा.देह खातेदार	शिवपुरी पुत्र मंछापुरी जाति स्वामी सा.देह खातेदार



(कुसुमलता चौहान)

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गाव के संग अभियान- 2021

क्रमांक - प्र.गा.क.स./2021/102-105

दिनांक- 19.01.22

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शिवपुरी पुत्र मंछापुरी जाति स्वामी निवासी थानमाता हिगंलाज को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावाली।



(कुसुमलता चौहान)

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गाव के संग अभियान- 2021

